पत्रांक– 15/जी 1–01/2017
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक..........................2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत एम0जे0सी0 संख्या– 4682/2014 डा0 कंचन महतो एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादियों के बकाये वेतनांतर की राशि के भुगतान हेतु कुल रूपये 26,36,372/– (छब्बीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ बहत्तर) मात्र स्वीकृत एवं विमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत एम0जे0सी0 संख्या– 4682/2014 डा0 कंचन महतो एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादियों के बकाये वेतनांतर की राशि के भुगतान हेतु कुल रूपये 26,36,372/–(छब्बीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ बहत्तर) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त अवमाननावाद सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 6428/2011 डा0 कंचन महतो एव अन्य में दिनांक 08.08.2013 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन नहीं किये जाने से उदभूत है। यह अवमाननावाद में दिनांक 20.11.2017 एवं 05.12.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वादी को भुगतान करने का न्यायादेश पारित किया गया। दिनांक 05.12.2017 को पारित न्यायादेश का उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

".......... The State shall release the funds necessary for making payments to the present petitioners and the University shall also ensure that the payments which were due to them are calculated individually and paid to them. If no such exercise is conducted by the Opposite parties, this Court seriously consider initiating contempt proceedings against the opposite parties."

3. उपरोक्त पारित न्यायादेश के आलोक में बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के पत्रांक 2551/2017/21/18 दिनांक 06.01.2018 के आलोक में कुल राशि रूपये 26,36,372/– (छब्बीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) इस शर्त्त के साथ भुगतान की स्वीकृत प्रदान की जाती है कि माननीय

जस्टिस एस0सी0 अग्रवाल प्रतिवेदन के आधार पर ही वास्तविक रूप से सामंजित शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाए। शेष राशि का ब्यौरा अविलम्ब निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

4. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2202– सामान्य शिक्षा–03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102 विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या 21–0008– बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, विपत्र कोड 21–2202.03.102.0008.31.04 सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में होगा।

5. राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। राशि की निकासी कर बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के पी0एल0 खाता संख्या– PLA296 में स्थानांतरित की जाएगी।

6. इस राशि की निकासी पटना सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से आवंटन आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात् होगी।

7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि के लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिये संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाए।

8. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाएगा।

9. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/जी1–01/2017 में दिनांक 06.02.2018 41/टि0 आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(अरशद फिरोज)
उप सचिव

15/जी1–01/2017 – 180 पटना, दिनांक – 7/2/18

प्रतिलिपि:– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/आय–व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी–09, वित्त विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 14 एवं 15/लेखापाल, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

(अरशद फिरोज)
उप सचिव

E:\Sanctioning Order 2017-18\Kanchan Mahto Sanctioning order.docx